न्यायालय सहायक कलक्टर निम्बाहेडा, जिला चित्तौडगढ (राज.)

पीठासीन अधिकारी :– रमेश सीरवी पुनाड़ियाँ (R.A.S.)

प्रकरण संख्या 144/2022 वाद पत्र
जीसीएमएस नम्बर 2022/336

1.श्री पुरणमल पिता टेकचन्द जी जाति प्रजापत आयु 36 साल निवासी निम्बाहेडा तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ़ राज0।

....वादी

// बनाम/ /

1. श्री गोपाललाल पिता प्रेमचन्द जी जाति धाकड आयु 47 साल निवासी आक्या तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तोडगढ़ राज0।
2. श्री विकास कुमार पिता गोपाललाल जी जाति धाकड़ आयु 21 साल निवासी आक्या तहसील निम्बाहेडा जिला चितौडगढ़ राज0।
3. सुश्री वन्दनाकुमारी पुत्री गोपाललाल जी जाति धाकड आयु 18 साल निवासी आक्या तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तोडगढ़ राज0।
4. श्रीमति लीलाबाई पत्नि गोपालाल जी धाकड़ आयु 46 साल निवासी आक्या तहसील निम्बाहेडा जिला चित्त्तौडगढ राज0।
5. श्री देवीलाल पिता प्रेमचन्द धाकड निवासी आक्या तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ।
6. श्री भगवतीलाल पिता स्व0 राधेश्याम धाकड निवासी आक्या तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ।
7. मु0 लीलाबाई पत्नि राधेश्याम धाकड निवासी आक्या तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ।
8. श्री उप पंजीयक महोदय, उप पंजीयक कार्यायल निम्बाहेडा तहसील निम्बाहेडा राज0।
9. श्री राज्य सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार निम्बाहेडा तह0 निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज0।

.....प्रतिवादीगण

<u>दावा</u>

<u>अन्तर्गत धारा ,88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955</u>

श्री सुधीर कुमावत , अधिवक्ता वादी, उपस्थित

श्री रामचन्द्र धाकड , अधिवक्ता प्रतिवादीगण

1. प्रकरण में संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 88–188 भू राजस्व अधिनियम 1955 की धारा का पेश कर निवेदन किया कि वादी एवं प्रतिवादीगणो की संयुक्त खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजीयात वाके मौजा आक्या पटवार हल्का डल्ला उर्फ किशनपुरा तहसील निम्बाहेडा में स्थित है। जिसके पुराने खाता संख्या 51 में आराजी नम्बर 186 रकबा 0.0400 हैक्टेयर,आराजी नम्बर 187 रकबा 0.3800 हैक्टयेर, आराजी नम्बर 188 रकबा 0.2100 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 308 रकबा 0.0100 हैक्टयेर ट्यूबवेल, आराजी नम्बर 507/185 रकबा 0.4000 हैक्टयेर , आराजी नम्बर 508/272 रकबा 0.6700 हैक्टयर, आराजी नम्बर 309 रकबा 0.8900 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 509/305 हैक्टयेर रकबा 0.4900 हैक्टेयर कुल किता 8 कुल रकबा 3.0900 कुल लगानी 72.4900 हैक्टयेर दर्ज है।

2. उक्त वर्णित आराजीयात में वादी तथा प्रतिवादीगण के संयुक्त दर्ज राजस्व रेकार्ड है। वादी द्वारा तत्कालीन विक्रेता [illegible] मु0 सीताबाई द्वारा उनका आराजी नम्बर 309 रकबा 0.8900 हैक्टेयर में [illegible] सम्पूर्ण 3/7 वाँ हक हिस्सा यानि 0.3814 हेक्टेयर जमीन का [illegible] विक्रय पत्र से दिनांक [illegible]2021 को खरीद कर कब्जा खास मौके [illegible] का प्राप्त किया गया है। उसके बाद राजस्व रेकार्ड में मुझ वादी का नाम उक्त खरीद शुदा जमीन में हक हिस्से अनुसार 3/7 वॉ दर्ज रेकार्ड हुआ। इससे पूर्व एक वाद संख्या 125/2021 ई0 दि0

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2023.09.14 16:59:18 IST
Reason: SelfAttested

उप खण्ड अधिकारी
निम्बाहेडा (राज.)

विकास कुमार धाकड बनाम गोपाललाल धाकड माननीय न्यायालय में विचाराधीन होकर उसमे आपसी सहमति से वाद दिनाक 17 01.2022 को डिक्री किया गया था। पुराने वाद पत्र में वादीगण एवं प्रतिवादी एक गोपाल के इस वाद पत्र की चरण संख्या एक में वर्णित केवल दो आराजी नम्बर 309 रकबा 0.8900 हेक्टेयर एवं 509/305 रकबा 0.4900 हेक्टेयर कुल किता दो कुल रकबा 1.3800 हेक्टेयर को शामलाती रखते हुए। मौका स्थिति अनुसार बटवाडा किया गया था। जिसमें इन दोनों आराजीयात का हक हिस्सा मुझ वादी के नाम दर्ज राजस्व रेकार्ड होकर अलग नाम पर होते हुए भी माननीय न्यायालय के आदेश व डिक्री की पालना में मुझ वादी के खरीद शुदा आराजी में से नाम विलोपित हो गया। जबकि उक्त आराजीयात मुझ वादी द्वारा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से खरीद कर कब्जा खास मौके पर प्राप्त किया गया था। अब वादी अपने खरीद शुदा तथा कब्जे अनुसार उक्त दोनों आराजीयात की विधिवत घोषणा कराकर अलग मौके पर स्थित अनुसार अलग खातेदारी में दर्ज कराये जाने का अधिकारी है।

3. प्रतिवादी एक से चार के नाम पर जो पुनः आराजीयात दर्ज रेकार्ड होकर हक हिस्सा बटवाडा हो गया है उस अनुसार मौके पर मैं वादी काबिज हूँ, इसलिए उक्त दोनों आराजीयात में जो प्रतिवादी एक ता चार का संयुक्त रूप से 0.3700 हैक्टेयर रकबा दर्ज हो गया वह पुनः मुझ वादी के नाम पुर्वानुसार आराजी में दर्ज रेकार्ड कराये जाने का अधिकारी है। प्रतिवादी एक ता चार का नाम उक्त आराजी नम्बर 309 रकबा 0.8900 हेक्टेयर एवं 509/305 रकबा 0.4900 हेक्टेयर कुल किता दो कुल रकबा 1.3800 हेक्टेयर में जो हक हिस्सा माननीय न्यायालय की डिक्री की पालना में नवीन खाता संख्या 195 में आ० न० 576/309 रकबा 0.2100 हेक्टेयर तथा आ०न० 579/509 रकबा 0.1600 हेक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 0.3700 हेक्टेयर दर्ज रेकार्ड प्रतिवादी संख्या एक ता चार गोपाललाल, लीलाबाई वन्दना विकासकुमार के नाम दर्ज रेकार्ड हुई नाम विलोपित कराया जाकर मुझ वादी के नाम घोषणा कराई जाकर राजस्व रेकार्ड में नाम अमल दरामद कराये जाने का कानूनन रूप से अधिकार है। रजिस्टर्ड विक्रय पत्र की फोटो प्रति, नवीन जमाबन्दीयों की फोटो प्रतियाँ, पूर्व वाद के निर्णय एवं डिक्री की प्रतियाँ वाद पत्र के साथ में पेश है। वादग्रस्त आराजीयात वर्तमान में प्रतिवादी एक व चार के संयुक्त रूप से 1/4 –1/4 हक हिस्सा दर्ज रेकार्ड है। प्रतिवादीगण एक ता चार के 1/4–1/4 वॉ हक हिस्सा दर्ज रेकार्ड होने से उक्त दोनों नम्बरान में मुझे वादी का नाम अंकित कराये जाने के लिये निवेदन किया लेकिन प्रतिवादीगण मानने को तैयार नहीं है।

4. उक्त दोनों नम्बारान पर प्रतिवादीगण राजस्व रेकार्ड में भारी परिवर्तन करने पर आमादा हो रहे है। उक्त आराजी को पुनः अन्य व्यक्तियों को मौके पर लाकर बेचात करने रहन, वय, बक्शीश हस्तान्तरण, खुर्द बुर्द नहीं करें अन्य लोगों को नहीं बेचें, राजस्व रेकार्ड एवं मौके पर कोई परिवर्तन न स्वयं करें न अन्य किसी से करायें। प्रतिवादीगण ऐसा कोई कृत्य नहीं करे जिससे वादी को उसके हक हिस्से की आराजी के उपयोग उपभोग तथा मौके पर फसल काश्त करने में कोई बाधा रूकावट अडचन पैदा हो, मोका एवं राजस्व रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे संयुक्त खातेदारी की आराजीयात को अन्य व्यक्तियों को किसी भी प्रकार से कोई हक हिस्सा विक्रय प्रतिवादी एक गोपालाल व विकास कुमार, वन्दना, लीलाबाई नही करें। वादी वादग्रस्त दोनों आराजीयात में से 0.3700 हेक्टेयर [illegible] मौके पर स्थित कब्जे अनुसार जमाबन्दी में अपना नाम पुनः दर्ज राजस्व [illegible] पर स्थित हक हिस्सा अनुसार ही घोषणा कराकर वादी नाम [illegible] अधिकारी है। इसी अनुसार वादी का वाद डिक्री किया जाना न्यायोचित है। [illegible] वादग्रस्त आराजी को मोके पर स्थित कब्जे अनुसार घोषणा कराकर पुनः नाम राजस्व रेकार्ड में लगाये जाने बाबत प्रतिवादीगण एक ता चार तथा अन्य प्रतिवादी[illegible] को कहा तो मना कर दिया और वादी कब्जे वाले हक हिस्से वाले के खेत को बेचने तथा जमीन को खुर्द बुर्द कर राजस्व रेकार्ड में परिवर्तन करने की धमकिया दे रहे है। प्रतिवादीगण एक ता चार परिवार एवं रिश्तेदारों के समझाने पर भी नहीं मान रहा है। दिनांक 10/07/2022 को प्रतिवादी एक द्वारा लड़ाई झगड़ा कर जमीन बेचने के लिए मौके पर भूमाफिया

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sivi Punadia
Date: 2023.09.14 16:59:18 IST
Reason: SelfAttested

उप खण्ड अधिकारी
निम्बाहेड़ा (राज.)

लोगों एवं दादा लोगों का साथ लेकर आये ओर जमीन दिखाई तथा बैंक से ऋण लेने पर आमादा हो रहा तथा समझाने पर भी नहीं मान रहे है।

5. वाद दर्ज रजिस्टर्ड किया गया, प्रतिवादीगण को जरिये सूचना पत्र तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 1 से 7 मय अधिवक्ता उपस्थित हुए तथा इकबाली जवाबदावा प्रस्तुत किया। उभयपक्ष द्वारा राजीनाम प्रस्तुत किया गया तथा राजीनामे अनुसार वादी का वाद डिक्री किए जाने का निवेदन किया।

6. बहस विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई। मिसल का अवलोकन करते हुए पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन किया गया। बहस सुनी गई। मिसल का अवलोकन करते हुए पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन किया गया। दस्तावेजी साक्ष्य में वादी ने नकल जमाबन्दी वाके मौजा आक्या पटवार हल्का डल्ला उर्फ किशनपुरा तहसील निम्बाहेडा सम्वत् 2077–2080 की खाता संख्या 188 की आराजी न0 309 रकबा 0.89 हैक्टेयर ,खाता संख्या 195 की आराजी नम्बर 559／188, आराजी नम्बर 564／187, आराजी नम्बर 568／507, आराजी नम्बर 572／508, आराजी नम्बर 576／309, आराजी नम्बर 579／509 कुल किता 6 कुल रकबा 0.8699 हैक्टयर,खाता संख्या 193 की आराजी नम्बर 562／188 रकबा 0.0534 हैक्टेयर भूमि, आराजी नम्बर 566／187 रकबा 0.1068 हैक्टैयर ,आराजी नम्बर 570／507 रकबा 0.1800 हैक्टेयर भूमि, आराजी नम्बर 574／508 रकबा 0.2200 हैक्टेयर भूमि, आराजी नम्बर 578／309 रकबा 0.3800 हैक्टेयर भूमि, आराजी नम्बर 581／509 रकबा 0.1700 हैक्टेयर भूमि कुल किता 6 कुल रकबा 1.1102 हैक्टेयर भूमि । खाता संख्या 194 की आराजी नम्बर 560／188, आराजी नम्बर 561／188, आराजी नम्बर 565／187, आराजी नम्बर 569／507, आराजी नम्बर 573／508, आराजी नम्बर 577／309, आराजी नम्बर 580／509 कुल किता 7 रकबा 1.0099 हैक्टयेर, नकल विक्रय पत्र दिनांक 29.06.2021 की प्रतिया प्रस्तुत की। बहस पर मनन किया गया। वादीगण व प्रतिवादीगण इस वाद में विवादग्रस्त आराजीयात के रेकार्डेड खातेदार हैं। मोजा आक्या प0ह0 डला उर्फ किशनपुरा तह0निम्बाहेडा की आ० न० 576／309 रकबा 0.2100 हेक्टेयर तथा आ०न० 579／ 509 रकबा 0.1600 हेक्टेयर कुल किता 2 दो कुल रकबा 0.3700 हेक्टेयर दर्ज रेकार्ड प्रतिवादी संख्या एक ता चार गोपाललाल, लीलाबाई ,वन्दना ,विकासकुमार के नाम दर्ज रेकार्ड हुई थी जिनका विलोपित करउक्त आराजीयात वादी पूरणमल के नाम अमल दरामद कराना चाहते हैं जिसका उनको पूर्ण कानूनी अधिकार है। वादी का दावा राजीनामे अनुसार डिक्री किया जाना न्यायोचित है।

7. **अतः वाद वादी राजीनामे अनुसार कतई डिक्री किया जाता है** । मोजा आक्या प0ह0 डला उर्फ किशनपुरा तह0निम्बाहेडा की आ० न० 576／309 रकबा 0.2100 हेक्टेयर तथा आ०न० 579／ 509 रकबा 0.1600 हेक्टेयर कुल किता 2 दो कुल रकबा 0.3700 हेक्टेयर दर्ज रेकार्ड प्रतिवादी संख्या एक ता चार गोपाललाल, लीलाबाई ,वन्दना ,विकासकुमार के नाम दर्ज रेकार्ड हुई थी जिनका विलोपित किया जावे एवं उक्त आराजीयात वादी पुरणमल के नाम राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद की जावे।

8. यह आज तारीख 05.04.2023 को मेरे हस्ताक्षर और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2023.09.14 16:59:18 IST
Reason: SelfAttested

5/4/23
उपखण्ड अधिकारी
(रमेश सीरवी पुनाड़िया)
सहायक कलक्टर
निम्बाहेड़ा

मुल वाद में डिक्री

(व्य0प्र0सं0के आदेश 20के नियम 6 व 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर, निम्बाहेड़ा जिला चित्तौडगढ (राज.)

पीठासीन अधिकारी :– रमेश सीरवी पुनाड़ियाँ (R.A.S.)

प्रकरण संख्या 144/2022 वाद पत्र
जीसीएमएस नम्बर 2022/336

1.श्री पुरणमल पिता टेकचन्द जी जाति प्रजापत आयु 36 साल निवासी निम्बाहेडा तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ़ राज0।
....वादी

// बनाम/ /

1. श्री गोपाललाल पिता प्रेमचन्द जी जाति धाकड आयु 47 साल निवासी आक्या तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तोडगढ़ राज0।
2. श्री विकास कुमार पिता गोपाललाल जी जाति धाकड़ आयु 21 साल निवासी आक्या तहसील निम्बाहेडा जिला चितौडगढ़ राज0।
3. सुश्री वन्दनाकुमारी पुत्री गोपाललाल जी जाति धाकड आयु 18 साल निवासी आक्या तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तोडगढ़ राज0।
4. श्रीमति लीलाबाई पत्नि गोपालाल जी धाकड़ आयु 46 साल निवासी आक्या तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज0।
5. श्री देवीलाल पिता प्रेमचन्द धाकड निवासी आक्या तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ।
6. श्री भगवतीलाल पिता स्व0 राधेश्याम धाकड निवासी आक्या तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ।
7. मु0 लीलावाई पत्नि राधेश्याम धाकड निवासी आक्या तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ।
8. श्री उप पंजीयक महोदय, उप पंजीयक कार्यायल निम्बाहेडा तहसील निम्बाहेडा राज0।
9. श्री राज्य सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार निम्बाहेडा तह0 निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज0।
.....प्रतिवादीगण

<u>दावा</u>

<u>अन्तर्गत धारा ,88,188 राजरथान काश्तकारी अधिनियम, 1955</u>

1. **वादी की और** से अधिवक्ता श्री सुधीर कुमावत अधिवक्ता **प्रतिवादी नं0 1 से 7 की और** से अधिवक्ता श्री रामचन्द्र धाकड **की उपस्थिति में इस वाद के आज दिनांक** 05.04.2023 **को** न्यायालय **के समक्ष राजीनामा अनुसार निपटारे के लिये पेश होने पर वाद वादी** अंतिम डिक्री **किया जाता हैं कि** मौजा आक्या प0ह0 डला उर्फ किशनपुरा तह0निम्बाहेडा की आ० न० 576/309 रकबा 0.2100 हेक्टेयर तथा आ०न० 579/ 509 रकबा 0.1600 हेक्टेयर कुल किता दो कुल रकबा 0.3700 हेक्टेयर दर्ज रेकार्ड प्रतिवादी [illegible] गोपाललाल, लीलाबाई ,वन्दना ,विकासकुमार के नाम दर्ज रेकार्ड हुई थी [illegible] विलोपित किया जावे एवं उक्त आराजीयात वादी पुरणमल के [illegible] की जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2023.09.14 16:59:18 IST
Reason: SelfAttested

2. यह आज दिनांक 05.04.2023 को मेरे द्वारा हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गयी।

(रमेश सीरवी पुनाड़िया)
सहायक कलक्टर
निम्बाहेड़ा